90 9625

सहायता 29.10.25

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 187/2025-26

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त **नहरों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 528 दिनांक 09.09.2025 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार जल संसाधन विभाग, सलूम्बर तह. सलूम्बर के 04 कार्य हेतु राशि 6.64 लाख **कुल 04 कार्यो हेतु राशि रूपयें 6.64 लाख (अक्षरे रूपयें छः लाख चौसठ हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलक्टर यह प्रमाण पत्र संम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशी का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
7. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:43:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510257

eSign 1.0

8. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
9. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
10. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चत करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
11. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तिय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।
12. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधन अनुसार हो।
13. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
14. उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यो की स्वीकृति जारी की जावें।

    इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।
    2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
    02- बाढ़, चक्रवात आदि।
    122- खराब सिचाई तथा बाढ नियत्रंण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
    (02)- बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
    [01]- [बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
    21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय निधि 75 प्रतिशत)
    (राज्य निधि 25 प्रतिशत)

15. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
16. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
17. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णतः प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

(शैफाली कुशवाहा)
उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:43:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18510257

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **सलूम्बर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   जल संसाधन विभाग सलूम्बर, तह. जयसमंद,सलूम्बर, जल संसाधन विभाग सेमारी, सलूम्बर, तह. सेमारी, जन स्वा. अभि. विभाग, सलूम्बर तह. सलूम्बर एवं जन स्वा. अभि. विभाग, सराड़ा तह. सराड़ा के तालाब/जलाशय मरम्मत के प्रस्ताव विभागीय प्रारूप में है। किन्तु उक्त प्रस्तावों में जनता जल योजना, जलाशय आदि हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त सभी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सलूम्बर।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:43:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18510257

eSign 1.0

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, (सहायता)सलूम्बर (राज.)

क्रमांकः–एफ.04( )बाढ़/सहायता/2025/589 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनबाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(23) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18510220 जयपुर दिनांक 29.10.2025 के क्रम में जल संसाधन विभाग, सलूम्बर तह.सलूम्बर के 06 कार्य हेतु राशि रूपये 06.64 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :– ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्मपति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति/ सड़क का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखो में लाखों में
1	सलूम्बर	Uregent Repair of LMC of Kesarsager Dam	Uregent Repair of LMC of Kesarsager Dam	1.75	1.75
2	सलूम्बर	Uregent Repair of LMC of Kesarsager Dam	Uregent Repair of LMC of Kesarsager Dam	1.53	1.53
3	सलूम्बर	Uregent Repair of RMC of Banod Dam	Uregent Repair of RMC of Banod Dam	1.96	1.96
4	सलूम्बर	Uregent Repair of RMC of Banod Dam	Uregent Repair of RMC of Banod Dam	1.40	1.40
		Total		**6.64**	**6.64**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWF & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।

4.उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।

5.ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

6.कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय [illegible]

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में [illegible]त एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडी[illegible] किया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह [illegible] के नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत [illegible] मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134

Signature valid
Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.31 14:11:50 IST
Reason: Approved

दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।

10 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

13. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराऐं जा सकेंगें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्षा 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245–प्राकृतिक विपति के कारण राहत

02–बाढ़ चक्रवात आदि।

122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्म्त तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)

(01)– (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)

21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर,
सलूम्बर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर।
4. तहसीलदार सलूम्बर।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सलूम्बर।
6 विकास अधिकारी पंचायत समिति सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जिला सलूम्बर।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

जिला कलक्टर,
सलूम्बर

Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.31 14:11:50 IST
Reason: Approved

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सलूम्बर

क्रमांकः—लेखा / 2025—26 / दिनांकः—यथा हस्ताक्षर

सहायता
11.11.25

श्रीमान् जिला कलक्टर
सलूम्बर

विषयः—राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) में स्वीकृत कार्यो के सम्बन्ध मे।
प्रसंगः—आप कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.04( )बाढ / सहायता / 2025 / 589 दिनांक 31.10.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु आप कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.04( )बाढ / सहायता / 2025 / 589 दिनांक 31.10.2025 द्वारा 04 कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः उक्त कार्यो की तखनीकी स्वीकृति संलग्न कर कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रेषित है।

S.No	Name of work	Amount (In Lacs)	TS No	Sanction Date
1	Urgent Repair of LMC of Kesar sagar Dam GP-odwariya PS-Jhallara	1.75	19	31.10.2025
2	Urgent Repair of RMC of Kesar sagar Dam GP-odwariya PS-Jhallara	1.53	20	31.10.2025
3	Urgent Repair of RMC of Banoda Dam GP-Banoda PS-Jhallara	1.40	21	31.10.2025
4	Urgent Repair of LMC of Banoda Dam GP-Banoda PS-Jhallara	1.96	22	31.10.2025

संलग्न—उपरोक्तानुसार

अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड, सलूम्बर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prateek Choudhary
Designation : Executive Engineer
Date: 2025.11.10 17:08:33 IST
Reason: Approved

आवक शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर
RR No. 13849
Date 11/11/25
सलूम्बर (राज.)

Govt of Rajasthan

Water Resources Department

Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Salumber

District salumber (Raj.) 313027

No.:- Tech./ 2025-26/2757 Date:- 31/10/2025

TECHNICAL SANCTION

Assistant Engineer,
Water Resources Sub Division
Salumber

Sub. : Technical Estimate of Urgent Repair of LMC of Banoda Dam GP-Banoda Tehsil-Jhallara Dist-Salumber Under SDRF

Ref. : Yours letter No. dated

Technical sanction for above mentioned estimate is hereby conveyed to amounting to Rs. 1.40 Lacs (in words One Lac Fourty Thousand Only) and Registered in this office Technical Estimate register at S.No. 21 **of 2025-26** is returned herewith.

The work is Chargeable to Budget Head : SDRF

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

No.:- Tech./ 2025-26/2758-2761 Date:- 30/10/2025

Copy Submitted/forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The District Collector, District Salumber.
2. The Superintending Engineer, Water Resources circle, Udaipur.
4. Acccount Section.
5. General Section.

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

Govt of Rajasthan
Water Resources Department

Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Salumber
District salumber (Raj.) 313027

No.:- Tech./ 2025-26/ 2762 Date:- 31/10/2025

TECHNICAL SANCTION

Assistant Engineer,
Water Resources Sub Division
Salumber

Sub. : Technical Estimate of Urgent Repair of RMC of Banoda Dam GP-Banoda Tehsil-Jhallara Dist-Salumber Under SDRF

Ref. : Yours letter No. dated

Technical sanction for above mentioned estimate is hereby conveyed to amounting to Rs. 1.96 Lacs (in words One Lac Ninety Six Thousand Only) and Registered in this office Technical Estimate register at S.No. 22 **of 2025-26** is returned herewith.

The work is Chargeable to Budget Head : SDRF

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

No.:- Tech./ 2025-26/ 2763-2766 Date:- 31/10/2025

Copy Submitted/forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The District Collector, District Salumber.
2. The Superintending Engineer, Water Resources circle, Udaipur.
4. Acccount Section.
5. General Section.

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

Govt of Rajasthan
Water Resources Department

Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Salumber District salumber (Raj.) 313027

No.:- Tech./ 2025-26/ 2747 Date:- 31/10/2025

TECHNICAL SANCTION

Assistant Engineer,
Water Resources Sub Division
Salumber

Sub. : Technical Estimate of Urgent Repair of LMC of Kesharsagar Dam GP-Orwadiya Tehsil-Salumber Dist-Salumber Under SDRF

Ref. : Yours letter No. dated

Technical sanction for above mentioned estimate is hereby conveyed to amounting to Rs. 1.75 Lacs (in words One Lac Seventy Five Thousand Only) and Registered in this office Technical Estimate register at S.No. 19 **of 2025-26** is returned herewith.

The work is Chargeable to Budget Head : SDRF

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

No.:- Tech./ 2025-26/2748-2751 Date:- 31/10/2025

Copy Submitted/forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The District Collector, District Salumber.
2. The Superintending Engineer, Water Resources circle, Udaipur.
4. Acccount Section.
5. General Section.

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

Govt of Rajasthan
Water Resources Department

Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Salumber
District salumber (Raj.) 313027

No.:- Tech./ 2025-26/ 2752 Date:- 31/10/2025

TECHNICAL SANCTION

Assistant Engineer,
Water Resources Sub Division
Salumber

Sub. : Technical Estimate of Urgent Repair of RMC of Kesharsagar Dam GP-Orwadiya Tehsil-Salumber Dist-Salumber Under SDRF
Ref. : Yours letter No. dated

Technical sanction for above mentioned estimate is hereby conveyed to amounting to Rs. 1.53 Lacs (in words One Lac Fifty Three Thousand Only) and Registered in this office Technical Estimate register at S.No. 20 **of 2025-26** is returned herewith.

The work is Chargeable to Budget Head : SDRF

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber

No.:- Tech./ 2025-26/ 2753-2756
Copy Submitted/forwarded to the following for information and necessary action please. Date:- 31/10/2025

1. The District Collector, District Salumber.
2. The Superintending Engineer, Water Resources circle, Udaipur.
4. Acccount Section.
5. General Section.

Encl. : One set of sanctioned estimate

Executive Engineer
Water Resources Division,
Salumber